(भारत के राजपत्र असाधारण, भाग–I, खण्ड I में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग
विदेश व्यापार महानिदेशालय
वाणिज्य भवन, नई दिल्ली

सार्वजनिक सूचना सं. 2/2023
दिनांकः 01 अप्रैल, 2023

विषयः अग्रिम और ईपीसीजी प्राधिकार पत्र धारकों द्वारा निर्यात दायित्व में चूक के एककालिक समाधान हेतु एमनेस्टी स्कीम के संबंध में।

समय–समय पर यथासंशोधित विदेश व्यापार नीति (एफटीपी) 2023 के पैरा 1.03 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महानिदेशक, विदेश व्यापार एतद्द्वारा (क) अग्रिम प्राधिकार पत्र स्कीम और (ख) ईपीसीजी स्कीम के तहत निर्यात दायित्व में चूक के मामलों को बंद करने की प्रक्रिया में निम्नलिखित संशोधन करते हैं।

I) कवरेजः

i. विदेश व्यापार नीति, 2009–14 से 31.03.2015 तक के तहत जारी अग्रिम प्राधिकार पत्र स्कीम (सभी प्रकार के) और ईपीसीजी स्कीम (सभी प्रकार के) के तहत जारी प्राधिकार पत्र, स्कीम के अंतर्गत आते हैं।

ii. विदेश व्यापार नीति, 2004–2009 और इससे पहले जारी अग्रिम प्राधिकार स्कीम (सभी प्रकार के) और ईपीसीजी स्कीम (सभी प्रकार के) के तहत जारी प्राधिकार पत्रों के लिए कवरेज उन प्राधिकार पत्रों तक सीमित है, जिनकी निर्यात दायित्व अवधि (मूल या विस्तारित) 12.08.2013 के आगे वैध थी।

II) स्कीम

i. इस स्कीम को "अग्रिम और ईपीसीजी प्राधिकार पत्र धारकों द्वारा निर्यात दायित्व में चूक के एककालिक समाधान हेतु एमनेस्टी स्कीम" कहा जाएगा।

ii. उपरोक्त पैरा (I) में उल्लिखित प्राधिकार पत्रों के निर्यात दायित्व (ईओ) को पूरा करने में चूक के सभी लंबित मामलों को प्राधिकार पत्र धारक द्वारा उन सभी सीमाशुल्कों जिन्हें अपूर्ण निर्यात दायित्व के अनुपात में छूट दी गई थी और इस तरह के ऐसे छूट प्राप्त शुल्कों के 100 प्रतिशत दर से ब्याज के भुगतान पर विनियमित किया जा सकता है। तथापि अतिरिक्त सीमाशुल्क और विशेष अतिरिक्त सीमाशुल्क के हिस्से पर कोई ब्याज देय नहीं हैं।

iii. वे सभी प्राधिकार पत्र धारक जो स्कीम का लाभ उठाने के इच्छुक हैं, वे सभी संबंधित विवरण भरकर इस उद्देश्य के लिए प्रदान किए गए अलग आवेदन प्रपत्र में वेबसाइट https://www.dgft.gov.in पर स्वंय को पंजीकृत करेंगे।

iv. तत्पश्चात यदि संपूर्ण प्राधिकार पत्र चूक के अधीन है, तो आवेदक क्षेत्राधिकार प्राप्त संबंधित सीमाशुल्क प्राधिकारियों के पास सीमाशुल्क और ब्याज का भुगतान कर सकते हैं और डीजीएफटी के संबंधित क्षेत्रीय प्राधिकारी को इसका प्रमाण प्रस्तुत कर सकते हैं।

सं. सांगी

v. यदि आंशिक चूक है तो, आवेदक के विशिष्ट अनुरोध के आधार पर और आवश्यक सहायक दस्तावेजों के साथ निर्यात दायित्व निर्वहन प्रमाण पत्र के लिए प्रस्तुत आवेदन के आधार पर डीजीएफटी के क्षेत्रीय प्राधिकारी, आवेदक को चूक का विवरण, जिस पर सीमाशुल्क और ब्याज देय है, सूचित करेगा।

vi. तत्पश्चात आवेदक क्षेत्राधिकार प्राप्त संबंधित सीमाशुल्क प्राधिकारियों के पास सीमाशुल्क और ब्याज का भुगतान कर सकता है और डीजीएफटी के संबंधित क्षेत्रीय प्राधिकारी को इसका प्रमाण प्रस्तुत कर सकता है।

vii. यह लाभ उठाने का विकल्प चुनने वाले किसी भी प्राधिकार पत्र धारक को 30.06.2023 को या उससे पहले उपरोक्त पैरा (iii) में यथा उल्लिखित पंजीकरण प्रक्रिया को पूरा करना होगा और क्षेत्राधिकार प्राप्त संबंधित सीमाशुल्क प्राधिकारियों के पास 30.09.2023 तक सीमाशुल्क और ब्याज का भुगतान करना होगा।

viii. इस प्रकार के भुगतान के प्रमाण और प्रक्रिया पुस्तक के तहत यथा निर्धारित अन्य संबंधित दस्तावेजों के आधार पर, संबंधित क्षेत्रीय प्राधिकारी अनुरोध की जांच कर सकता है और निर्यात अथवा निर्वहन प्रमाण पत्र प्रदान करने वाला एक पत्र जारी करेगा।

ix. यहां तक कि जिन मामलों में मूल रूप से या अपील में न्यायनिर्णयन (अथवा लंबित न्याय निर्णयन) हो चुका है, उन्हें भी इस सार्वजनिक सूचना के तहत विनियमित किया जा सकता है। ऐसे मामलों के नियमितीकरण की प्रक्रिया निम्नानुसार होगी:

क. उन मामलों के संबंध में जिनका पहले ही न्यायनिर्णयन हो चुका है (या लंबित न्याय निर्णयन) और जहां अपील दायर नहीं की गई है, फर्म संबंधित क्षेत्रीय प्राधिकारी से क्लोजर पत्र की प्रति अधिनिर्णयन प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगी।

ख. यदि कोई अपील दायर की गई है तो यह क्लोजर लेटर अपीलीय प्राधिकारी को जमा करना होगा। इस तरह के क्लोजर लेटर प्रस्तुत करने पर न्यायनिर्णयन प्राधिकारी/अपीलीय प्राधिकारी, ऐसे मामले/अपील को बंद करने का निर्णय करेगा और इसकी सूचना अपीलकर्ता और संबंधित क्षेत्रीय प्राधिकारी को देगा।

x. ऐसे मामलों, जिनकी जांच चल रही है, या जिसमें धोखाधड़ी, मिथ्या घोषणा या सामग्री और अथावा/पूंजीगत माल के अनधिकृत डाइवर्जन के संबंध में अधिनिर्णयन होना है, तो ये कवरेज से बाहर होंगे।

xi. कानून के किसी भी प्रावधान के तहत किसी भी राशि की न तो सेनवेट क्रेडिट, न ही क्रेडिट की वापसी, इस स्कीम के अंतर्गत भुगतान किए शुल्क पर अनुमत की जाएगी। आवेदक को यह वचनबद्धता भी देनी होगी कि सेनवेट क्रेडिट या इस स्कीम के तहत भुगतान की गई किसी भी शुल्क की वापसी के लिए किसी भी प्राधिकारी के समक्ष और/या न्यायालय के समक्ष कोई आवेदन दायर नहीं करेंगे।

xii. यदि लागू ब्याज सहित शुल्क पहले ही पूर्ण रूप से जमा कर दिया गया है, तो मामला कवरेज के लिए पात्र नहीं होगा।

xiii. संबंधित क्षेत्रीय प्राधिकारियों द्वारा अपेक्षित रिपोर्ट भरने की प्रणाली सहित आवश्यक प्रक्रियाएं अलग से दर्शायी जाएंगी।

[**उदाहरण 1: जहाँ संपूर्ण निर्यात दायित्व पूरा नहीं किया जा सका:** यदि निर्यात दायित्व में चूक 100 प्रतिशत है तो, इसका अर्थ होगा कि बचाई गई शुल्क की पूरी रकम वापस करनी होगी। इस बचाई गई शुल्क राशि पर ब्याज की गणना आयात की तारीख से भुगतान की तारीख तक की जानी है। अप्रयुक्त छूट प्राप्त सामग्री का कुल सीआईएफ मूल्य मानो 100/– रुपए हैं, सभी छूट प्राप्त

ह. सा/गी

सीमाशुल्क (अतिरिक्त सीमाशुल्क और विशेष अतिरिक्त सीमाशुल्क सहित) मानो 50/– रुपए हैं। सीमाशुल्क छूट (अतिरिक्त सीमाशुल्क और विशेष अतिरिक्त सीमाशुल्क को छोड़कर) वाला हिस्सा 32 रुपये है तो अधिकतम देय ब्याज 32 रुपये (32 रुपये का 100 प्रतिशत) है। इसलिए इस मामले को विनियमित करने हेतु प्राधिकार–पत्र धारक द्वारा अधिकतम देय राशि 50 + 32 = 82 रुपये होगी।

उदाहरण 2: जहां निर्यात दायित्व पूर्ति में कमी है: प्राधिकार पत्र के कुल सीआईएफ मूल्य में 500 रुपये है, निर्यात दायित्व में चूक 40 प्रतिशत थी, तब बचाई गई शुल्क राशि की तदनुरूपी सीआईएफ मूल्य 200 रुपये (500 रुपये का 40 प्रतिशत) हो जाता है। सभी सीमाशुल्क छूट (अतिरिक्त सीमाशुल्क और विशेष अतिरिक्त सीमाशुल्क सहित) 100 रुपये है। सीमाशुल्क छूट (अतिरिक्त सीमाशुल्क और विशेष अतिरिक्त सीमाशुल्क को छोड़कर) हिस्सा 64 रुपये है तो देय अधिकतम ब्याज 64/– रु. से होगा (64 रुपये का 100 प्रतिशत)। इसलिए इस मामले को विनियमित करने हेतु प्राधिकार–पत्र धारक द्वारा अधिकतम देय राशि 100 + 64 = 164 रुपये होगी।

इस सार्वजनिक सूचना का प्रभाव: अग्रिम और ईपीसीजी प्राधिकार पत्र धारकों द्वारा निर्यात दायित्व में चूक के एककालिक समाधान हेतु एमनेस्टी स्कीम के तहत अग्रिम प्राधिकार–पत्र और ईपीसीजी प्राधिकार–पत्रों के निर्यात दायित्व चूक के मामलों में ईओडीसी प्रदान करने/विनियमित करने हेतु एक कालिक सुविधा प्रदान की जा रही है।

संतोष कुमार सारंगी
1.4.2023

(संतोष कुमार सारंगी)
महानिदेशक विदेश व्यापार एवं
पदेन अपर सचिव, भारत सरकार
ईमेल: dgft@nic.in

(फा. सं. 18/15/एएम–23/पी–5 से जारी)